संख्या- 586 /9-8-19-10डी0डी0यू0(बजट) /2019

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

**नगर विकास अनुभाग-8** **लखनऊः दिनांक 18 फरवरी 2019**

**विषयः**- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नागर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्राविधानित धनराशि से, संलग्न सूची में अंकित कार्य विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 09 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रूपये 2977.85 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 1488.92 लाख (रूपये चौदह करोड़ अठठासी लाख बानवे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की

व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये नोडल खाते के माध्यम से सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाय।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

**संख्या-5864/9-8-19 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/ मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( बृजेन्द्र सिंह )
अनुसचिव।

संख्या– 586 /9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | फतेहपुर | न0 पं0, बहुआ | 1 पार्क का निर्माण कार्य। (1) | 36.80 | | |
| | | | 2 पार्क का निर्माण कार्य। (2) | 53.98 | | |
| | | | 3 वार्ड नं0–9 में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 28.45 | | |
| | | | 4 वार्ड नं0–6 में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 18.37 | | |
| | | | 5 वार्ड नं0–1 में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 4.56 | | |
| | | | 6 वार्ड नं0–10 में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 5.34 | | |
| | | | 7 वार्ड नं0–4 में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 40.02 | | |
| | | | 8 वार्ड नं0–7 में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 27.04 | | |
| | | | 9 (1)पी0/एफ एल0ई0डी0 लाइट्स।<br>(2) हाई मास्ट लाईट्स। | 49.21 | | |
| | | | 10 कन्टीजेन्सी 01 प्रतिशत | 2.64 | | |
| | | | 11 लेबर सेस 01 प्रतिशत। | 2.66 | | |
| | | | 12 जी0एस0टी0 12 प्रतिशत। | 32.29 | | |
| | | | 13 आर्किटेक्चर फीस 1.24 प्रतिशत। | 3.30 | | |
| | | | 14 आर्किटेक्चर फीस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0। | 0.59 | | |
| | | | योग | 305.25 | 300.00 | 150.00 |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 / 9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट) / 2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | बागपत | न0 पं0, छपरौली | 1 कस्बा छपरौली में तिलवाड़ा रोड पर स्थित आर्य समाज प्रांगण में युवा विकास हेतु क्रीड़ा हॉल, योगा पार्क व सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। | 65.36 | | |
| | | | 2 कस्बा छपरौली पट्टी धंधान में स्थित बल्ले वाली चौपाल का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 49.53 | | |
| | | | 3 कस्बा छपरौली में विभिन्न स्थानों पर 15 नग नये वाटर कूलर मय फिटिंग कम्पलीट सहित अधिष्ठापन का कार्य। | 40.73 | | |
| | | | 4 वार्ड नं0–7/8/13 में मुनी की चक्की से विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के सामने तालाब तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 34.61 | | |
| | | | 5 वार्ड नं0–13/14 में टंकी नं0–1 के गेट से अल्ला रक्खा के चौराहे तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 14.40 | | |
| | | | 6 कस्बा छपरौली में तिलवाड़ा रोड पर 25 मीटर ऊँची एल0ई0डी0 हाईमास्क लाईटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन का कार्य। | 9.91 | | |
| | | | 7 कस्बा छपरौली में रठोडा रोड पर 25 मीटर ऊँची एल0ई0डी0 हाईमास्क लाईटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन का कार्य। | 9.91 | | |
| | | | 8 कस्बा छपरौली में बदरखा रोड पर श्री विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के सामने 25 मीटर ऊँची एल0ई0डी0 हाईमास्क लाईटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन का कार्य। | 9.91 | | |
| | | | 9 वार्ड नं0–10/11 में तेजू पुत्र मांगे हांडा के मकान से धर्मबीर हट्टी के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 9.13 | | |
| | | | 10 वार्ड नं9–11/12 में खिलारी चेयरमैन के घर के कोने से मास्टर वेद प्रकाश शास्त्री के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 8.78 | | |
| | | | 11 वार्ड नं0–10/11 में बिजेन्द पुत्र मुंशी गाधड के मकान से सुकरगपाल पुत्र चौहल के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 8.71 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12 वार्ड नं0–13/14 में प्रमोद पुत्र चन्द्रपाल के मकान से टंकी नं0–1 के गेट तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 7.85 | | |
| | | | 13 वार्ड नं0–11/12 में मांगे पुत्र करमसिंह के मकान से सोहनबीर पुत्र चरण सिंह के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 7.28 | | |
| | | | 14 कस्बा छपरौली में थाने के सामने मुख्य मार्ग पर आधुनिक यात्री शेड का निर्माण कार्य। | 7.23 | | |
| | | | 15 वार्ड नं0–11 में बिजेन्द्र पुत्र मुंशी के मकान से मांगे पुत्र कर्मसिंह के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 6.50 | | |
| | | | 16 वार्ड नं0–11 में सोहनपाल राडे से बिजेन्द्र पुत्र मुंशी के मकान तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 4.72 | | |
| | | | 17 वार्ड नं0–11 में वेद प्रकाश शास्त्री के मकान से मास्टर राजपाल के घर के कोने तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। | 4.69 | | |
| योग | | | | **299.25** | **299.25** | **149.62** |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 /9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | मेरठ | न0 पं0, खरखौंदा | 1. बाबा बुद्धा दास मंदिर का निर्माण कार्य। | 28.53 | | |
| | | | 2. खेल के मैदान का कार्य। | 88.74 | | |
| | | | 3. बारात घर का निर्माण कार्य। | 144.50 | | |
| | | | 4. पार्क का निर्माण कार्य। | 46.34 | | |
| | | | 2 प्रतिशत कंटीजेंसी | 6.16 | | |
| | | | 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 | 0.73 | | |
| | | | **योग** | **315.00** | **300.00** | **150.00** |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 /9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | फतेहपुर | न0 पं0, खागा | 1. नगर पंचायत खागा में पार्क का निर्माण कार्य। | 28.60 | | |
| | | | 2. वार्ड नं0–5 जी0टी0 रोड से संदीप एवं जय सिंह के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। | 30.97 | | |
| | | | 3. वार्ड नं0–9 में हाईवे बाईपास से देवराज के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य। | 36.91 | | |
| | | | 4. वार्ड नं0–13 जगदेव प्रसाद मौर्या के मकान से कुंज बिहारी के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य। | 33.94 | | |
| | | | 5. वार्ड नं0–13 में खेल के मैदान की चाहर दिवारी का निर्माण कार्य। | 19.56 | | |
| | | | 6. बारात घर का निर्माण कार्य। | 47.85 | | |
| | | | जी0एस0टी0 12 प्रतिशत। | 23.74 | | |
| | | | 7. विभिन्न वार्डों में विद्युतीकरण का कार्य। | 136.77 | | |
| | | | जी0एस0टी0 18 प्रतिशत। | 24.61 | | |
| | | | सेस 1 प्रतिशत। | 3.83 | | |
| | | | आरकेटेक्ट फीस 2 प्रतिशत। | 7.66 | | |
| | | | कंटेजेन्सी 2 प्रतिशत। | 7.66 | | |
| | | | योग | 402.10 | 400.00 | 200.00 |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586/9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | इटावा | न0 पं0, लखना | 1. अतिथि ग्रह का निर्माण कार्य। | 140.04 | | |
| | | | 2. एल0ई0डी0 लाईट का कार्य। | 23.63 | | |
| | | | 4. सोलर लाइट का कार्य। | 58.19 | | |
| | | | 5. नीव का कार्य। | 16.08 | | |
| | | | 6. इंटरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 66.15 | | |
| | | | आरकेटेक्चर फीस। | 1.77 | | |
| | | | जी0एस0टी0 18 प्रतिशत। | 0.31 | | |
| | | | योग | 306.17 | 300.00 | 150.00 |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 / 9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | शामली | न0 पं0, बनत | 1. सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। | 87.19 | | |
| | | | 2. सुभाषनगर में तालाब का निर्माण का कार्य। | 69.30 | | |
| | | | 3. ट्रेचिंग का सौन्दर्यीकरण | 13.71 | | |
| | | | 4. स्पोटस कैम्पस का सौन्दर्यीकरण का कार्य | 90.80 | | |
| | | | 5. पीवर रोड पर सी0सी0 इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 5.07 | | |
| | | | 6. बाहर दिवारी का कार्य। | 100.79 | | |
| | | | 7. गेट का कार्य। | 10.18 | | |
| | | | 8. बोरिंग एवं पम्प का कार्य। | 11.17 | | |
| | | | 9. हाईमास्ट लाईटिंग का कार्य। | 14.71 | | |
| | | | कंटीजेन्सी 2 प्रतिशत। | 8.05 | | |
| | | | क्वालिटी मैनेटरिंग 1 प्रतिशत। | 4.02 | | |
| योग | | | | **414.99** | **400.00** | **200.00** |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 /9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | जौनपुर | न0पं0, केराकत | 1. सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। | 76.41 | | |
| | | | 2. राधा–कृष्ण मंदिर के पास आर0सी0सी0 रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य। | 7.20 | | |
| | | | 3. वार्ड नं0 8 सिपाह द्वितीय में दुर्गा मंदिर से सिद्धी से अजीज मज्जन कि मकान तक इंटरलाकिंग सड़क की मरम्मत का कार्य। | 6.42 | | |
| | | | 4. वार्ड नं0–6 शेखजादा प्रथम में बाबुराम मौर्या के पाही से स्व0 मख्सुद साव के पंप रूम तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 8.33 | | |
| | | | 5. वार्ड नं0–6 शेखजादा प्रथम में आर0के0 मिल्क डेयरी से कन्या पाठशाला तक इंटरलाकिंग सड़क मरम्मत व नाली निर्माण कार्य। | 24.77 | | |
| | | | 6. वार्ड नं0–11 शेखजादा द्वितीय में स्टेशन रोड से अभिनव आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय केराकत तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 7.88 | | |
| | | | 7. वार्ड नं0–11 शेखजादा द्वितीय में नरसिंह यादव के मकान से स्व0 पन्नालाल मौर्या के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 4.63 | | |
| | | | 8. वार्ड नं0–11 शेखजादा द्वितीय में ट्यूबवेल नं0–2 से आर्य समाज स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क मरम्मत व नाली निर्माण कार्य। | 5.28 | | |
| | | | 9. वार्ड नं0–11 शेखजादा द्वितीय में ट्यूबवेल नं0–2 से जीवन ज्योति चिकित्सालय तक नाली निर्माण का कार्य। | 2.02 | | |
| | | | 10. वार्ड नं0–6 शेखजादा प्रथम में पुलिया से सैनिक हार्डवेयर तक पटरी पर इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 31.63 | | |
| | | | 11. वार्ड नं0–6 शेखजादा प्रथम में थाना के बीरेन्द्र वाल से अशोक गुप्ता तक पटरी पर इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 31.15 | | |
| | | | 12. वार्ड नं0–6 शेखजादा प्रथम से सत्यजीत गुप्ता के मकान से मैरेज हॉल तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 7.38 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13. वार्ड नं0--11 शेखजादा द्वितीय में खलील टेंट हाउस से मस्जिद तक नाली व स्लैब निर्माण कार्य। | 1.27 | | |
| | | | 14. वार्ड नं0–11 शेखजादा द्वितीय में ट्यूबवेल नं0–02 से वन्दना क्लीनिक होते हुए रामाश्रय यादव के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 5.09 | | |
| | | | 15. वार्ड नं–9 सिपाह प्रथम में गुलाब गुप्ता के सामने नाले से चौहान बस्ती की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य। | 3.46 | | |
| | | | 16. यादव बस्ती पाही पाण्ड आफ मिया से पुलिया तक नाली इंटरलाकिंग निर्माण का कार्य। | 4.40 | | |
| | | | 17. वार्ड नं0–5 नरहन तृतीय मो0 दलाल टोला में गोपाल पं0 के मकान से पुलिया के आगे तक नाले पर स्लैब निर्माण का कार्य। | 4.66 | | |
| | | | 18. वार्ड नं0–5 नरहन तृतीय में मेन रोड से प्रजापति बस्ती तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 4.73 | | |
| | | | 19. वार्ड नं0–4 मेंहदीतला में निजामु के मकान से बचाऊ के गोदाम तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 4.94 | | |
| | | | 20. वार्ड नं0–1 गोला बाजार में नए चौराहा पर द्वारिका की दुकान से पुलिस बूथ तक पटरी पर इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 8.42 | | |
| | | | 21. वार्ड शेखजादा में कचहरी चौराहा से पुलिस बूथ जक जल सप्लाई हेतु 110 एम0एम0 डाया के पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार का कार्य। | 8.82 | | |
| | | | 22. वार्ड शेखजादा में कचहरी चौराहा से मनिअंरा मोड़ तक जल सप्लाई हेतु 110 एम0एम0 डाया के पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार का कार्य। | 8.80 | | |
| | | | 23. वार्ड शेखजादा में कचहरी चौराहा से स्टेशन रोड तक जल सप्लाई हेतु 110 एम0एम0 डाया के पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार का कार्य। | 8.42 | | |
| | | | 24. शेखजादा द्वितीय में आर्य समाज स्कूल से ट्यूबवेल नं0–2 होते हुए जीवन ज्योति चिकित्सालय तक पाईप लाइंन विस्तार का कार्य। | 3.15 | | |
| **योग** | | | | **279.26** | **279.26** | **139.63** |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 /9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | सीतापुर | न0 पं0, महोली। | 1. वार्ड नं0 08 में कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य | 212.37 | | |
| | | | 2. वार्ड नं0 10 में रैन बसेरा का निर्माण कार्य | 55.48 | | |
| | | | 3. काली माता मन्दिर इण्टर लाकिंग सड़क निर्माण कार्य | 16.37 | | |
| | | | एल0ई0डी0 लाइट का कार्य। | 70.00 | | |
| | | | 1 प्रतिशत लेबर सेस | 3.61 | | |
| | | | 1 प्रतिशत इस्टेबलिशमेन्ट चार्ज | 3.61 | | |
| | | | 12 प्रतिशत जी.एस.टी. | 44.22 | | |
| | | | 0.68 प्रतिशत आर्कीटेक्ट चार्ज | 2.46 | | |
| | | | 18 प्रतिशत जी.एस.टी. आर्कीटेक्ट चार्ज | 0.44 | | |
| | | | **योग** | **415.66** | **400.00** | **200.00** |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 586 /9–8–2019–10डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09 | बांदा | न0पं0, तिन्दवारी | 1. सिंगार नगर और सन्तोषी नगर में में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य | 12.16 | | |
| | | | 2 योगा/सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कवर्ड स्टेज का निर्माण कार्य। | 8.06 | | |
| | | | 3 मेल और फीमेल डर्मिटरी का निर्माण कार्य। | 46.53 | | |
| | | | 4 मैरिज हाल का निर्माण कार्य। | 72.56 | | |
| | | | 5 नगर पंचायत भवन निर्माण कार्य । | 68.56 | | |
| | | | 6 सी.सी. इण्टर लाकिंग पेवर ब्लाक ऑन साइड ऑफ साइड निर्माण कार्य। | 41.93 | | |
| | | | 7. वी टाइप नाली निर्माण कार्य । | 2.53 | | |
| | | | 8. इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य | 1.20 | | |
| | | | 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी चार्ज | 5.07 | | |
| | | | 1 प्रतिशत लेवर सेस | 2.59 | | |
| | | | 12 प्रतिशत जी.एस.टी. | 31.03 | | |
| | | | कास्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कनेक्शन। | 5.00 | | |
| | | | 0.82 प्रतिशत आर्कीटेक्ट चार्ज। | 2.12 | | |
| | | | **योग** | **299.34** | **299.34** | **149.67** |
| | | | **कुल योग** | **3037.02** | **2977.85** | **1488.92** |

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।